

180 2

फार्म

***प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०**

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो जावेद खान 2. वर्तमान धारित पद ऑफिसर - एमएच
 3. वर्तमान वेतन ५६७००/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख २०२०

| उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो | संपत्ति का नाम तथा ब्यौर | | **वर्तमान मूल्य | यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है | उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरोधित, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौर | संपत्ति से वार्षिक आय | अभिधुक्ति |
|---|--------------------------|----------|----------------------|--|---|-----------------------|-----------|
| | गृह तथा अन्य भवन | भूमि | | | | | |
| (1) अमिता (५२५ एमएच) समाप्त हिण्ड सामान | (2) अमरा | (3) — | (4) ५०००० रुपय | (5) स्व-अर्जित आविश्मल पिता | (6) विरासत (वर्ष १९८५ ई) | (7) — | (8) — |

21/11/20
A.P.P.

* जहां लागू न हो काट दीजिए।
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी: मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, १९५९ के नियम १८(३) के अर्थात् प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महीने की अवधि के पर्याप्त यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें यह उनके स्वामित्व की-तथा उनके द्वारा अर्जित भवना इत्यादि विवरणों में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या कस-क भर होने द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौर दें।

हस्ताक्षर... जावेद खान
 नाम जावेद खान
 पद ऑफिसर - एमएच
 विभाग अ.५. एमएच डिपार्टमेंट